निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–121/15
दायरा दिनांक :–02.09.2015
निर्णय दिनांक :– 29.11.2022

उनवान

1. कल्याणीबाई पत्नी कालूलाल जाति मीणा निवासी रजपाली तहसील बारां जिला बारां राज0
2. मुकुटबिहारी पुत्र कालूलाल जाति मीणा निवासी रजपाली –वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासीगण रजपाली तहसील बारां जिला बारां
2. रामस्वरूपपुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासीगण रजपाली तहसील बारां जिला बारां –प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 29.11.2022

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल एड0– वादीगण
2. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी एड0– प्रतिवादीगण

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम रजपाली तहसील बारां जिला बारां में वादिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 192 रकबा 0.09 हे0, व खसरा नं0 194 की 0.08 हे0 कुल 2 किता रकबा 0.17 हे0 भूमि अवस्थित है। उक्त आराजी गांव के नजदीक है और वादीगण के मकान के पास में ही स्थित है जो वादीगण ने अपनी सुविधा हेतु आवागमन हेतु छोड़ रखी है। प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने वाले व्यक्ति है और जबरन लटठ के जोर पर वादीगण की भूमि में अवैधानिक रूप से कब्जा करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण ने कब्जा करने की नीयत से दिनांक 22.04.2015 को वादीगण की उक्त भूमि में जबरन नीवं खोदने पर आमादा हो गये। वादीगण ने प्रतिवादीगण को मना किया तो प्रतिवादीगण लडाई झगडे पर आमादा हो गये। वादीगण ने बामुश्किल गांव में अपने साथियों की मदद से प्रतिवादीगण को भूमि से बाहर किया लेकिन प्रतिवादीगण जाते जाते कह कर गये कि इस भूमि पर हम कब्जा करके रहेंगे, जो भी आडे फिरेंगे उसे जान से खत्म कर देंगे। प्रतिवादीगण अपनी खराब नीयत को बनाये रखे हुए है। और वे जानबूझकर वादीगण की भूमि में अपना घर का सारा कूडा करकट गोबर इत्यादी डालकर गन्दगी फैलाते है। और मना

उपखण्ड अधिकारी
वाराँ

Scanned with CamScanner

करने पर लडाई झगडे पर आमादा होते है। वादीगण ने इस बाबत थाने में भी रिपोर्ट कराई थी लेकिन प्रतिवादीगण को ना तो पाबन्द किया ना कोई कार्यवाही की। वादीगण उक्त भूमि के खातेदार कृषक है और अपनी संपत्ति की सुरक्षार्थ अधिकारी है। प्रतिवादीगण के द्वारा नाजायज कब्जा करने की नीयत बनाए हुए है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 22.04.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के खेत में जे0सी0बी0 मशीन से नीव खोदने पर आमादा होने पर बमुकाम राजपाली उत्पन्न हुआ है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम राजपाली सम्वत् 2067–70 खाता सं0 88, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम रजपाली पेश किया गया। रिपोर्ट सीमा ज्ञान, पेश की गई। साक्ष्य वादी में मुकुटबिहारी का शपथ पत्र पेश किया। साक्ष्य प्रविवादी पेश नहीं किये गये।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकी कायम की गईः–

तनकी नं0 1:– आया वाके ग्राम रजपाली में वादिया के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 192 रकबा 0.09 हे0, खसरा नं0 194 रकबा 0.08 है0 कुल 0.17 हे0 गांव एवं वादीगण के मकान के पास स्थित है। जो वादीगण ने अपनी सुविधा तथा आवागमन हेतु छोड रखी है। **–वादीगण**

तनकी नं0 2:– आया प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के है। और जबरन वादीगण की भूमि में अवैधानिक कब्जा करने पर आमादा है। अतः वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी है। **–वादीगण**

तनकी नं0 3:– आया प्रतिवादीगण उक्त भूमि का उपयोग उपभोग जानवर बांधने व गोबर इत्यादी डालने हेतु 30 वर्ष से अधिक समय से करते आ रहे है। **–प्रतिवादीगण**

तनकी नं0 4:– आया सेटलमेन्ट सम्वत् 2038–57 से पूर्व खसरा नं0 136 व 137 थे। तथा खसरा नं0 137 सम्वत् 2031–35 में सिवायचक दर्ज थी, दोनों ही नंबरान की भूमि आबादी के लगंवा है। जिसके संबध में वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। **–प्रति0**

तनकी नं0 5:–आया राज0 सरकार तहसीलदार बारां को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद निरस्तनिय है। **–प्रतिवादीगण**

तनकी नं0 6:–आया प्रतिवादीगण साबिक खसरा नं0 137 हाल खसरा नं0 194 रकबा 0.08 हे0 को सिवायचक खाता सरकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। **–प्रतिवादीगण**

तनकी नं0 7:– अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम रजपालीतहसील बारां में स्थित है। जो गांव के नजदीक है तथा वादीया के मकान के पास में है। वादीया ने अपनी सुविधा हेतु आवागमन हेतु छोड रखी है। प्रतिवादीगण वादीया की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। तथा वादिया की भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान निर्माण करना चाहते है। वादिया ने प्रतिवादी के विरूद्ध थाने से भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परन्तु प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। वादी का वाद स्वीकार किया जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वह वादीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी के वाद का तनकी वार निस्तारण निम्नानुसार किया गया है:-

तनकी नं01:- इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था नकल जमाबन्दी ग्राम रजपाली सम्वत् 2067-70 खाता सं0 88 में शिवकरण, मदनलाल पुत्र प्रताप जाति मीना का नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी के कॉलम सं0 12 से 17 में नमा0 सं0 248 दिनांक 07.03. 2013 से खसरा नं0 192 रकबा 0.09 हे0 खसरा नं0 194 रकबा 0.08 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.17 हे0 भूमि पर कल्याणीबाई पत्नी कालूलाल जाति मीना सा0 देह का नाम दर्ज होने का नोट अंकित है इससे यह साबित होता है। कि विवादित आराजी वादिया के खातेदारी में दर्ज है। नकल पैमाईश रिपोर्ट के अनुसार हल्का पटवारी गजनपुरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खसरा नं0 192 व 194 की भूमि प्रार्थीया के खातेदारी की है। खसरा नं0 194 होकर प्रार्थीया द्वारा अपनी सहमति से रास्ता आवागमन हेतु छोड रखा है। परन्तु वर्तमान में खसरा नं0 194 में कुछ लोग बाबूलाल, कलावती, हेमन्त ने मिलकर खाई खोदना शुरू कर दिया बताया है। इससे य साबित होता है कि प्रार्थीया की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। जिसका कोई अधिकार नहीं है। अतः यह तनकी वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:-इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर विवादित आराजी वादीया के खातेदारी की व कब्जे काश्त की है जिस पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर वादिया को बेदखल करना चाहते है। वादिया प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने की अधिकारी है। अतः यह तनकी वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3:-इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को था प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उप0 होकर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके की विवादित आराजी पर 30 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा हों प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

तनकी नं0 4:—इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी सिवायचक दर्ज होना साबित करने में विफल रहे है। प्रतिवादी द्वारा आबादी होने का भी ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके। कि उक्त विवादित आराजी सिवायचक थी जिस पर आबादी बसी हुई है प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5:—इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दृष्टान्त पेश नहीं किया जिससे राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाने पर दावा सारहीन होने से खारिज किया जा सके प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 6:—इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में उप0 होकर ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया जिससे विवादित आराजी खसरा नं0 194 सिवायचक दर्ज हो। प्रतिवादी वादीया की भूमि पर जबरन कब्जा कर वादीया को बेदखल करना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी को सिवायचक होना व आबादी बसी होना साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निर्णय से यह तथ्य सामने आते है। कि विवादित आराजी वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त है जिस पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर बेदखल करना चाहते है। वादीया प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है वादिया का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम रजपाली तहसील बारां के खसरा नं0 192 रकबा 0.09 हे0 खसरा नं0 194 रकबा 0.08 हे0 अतिक्रम नहीं करें। ना ही किसी प्रकार की रेवडी डाले। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रति निधियों से करावे। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 121/2015	अन्तर्गत 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:– 29.11.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

1. कल्याणीबाई पत्नी कालूलाल जाति मीणा निवासी रजपाली तहसील बारां जिला बारां राज0
2. मुकुटबिहारी पुत्र कालूलाल जाति मीणा निवासी रजपाली –वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासीगण रजपाली तहसील बारां जिला बारां
2. रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासीगण रजपाली तहसील बारां जिला बारां

–प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम रजपाली तहसील बारां के खसरा नं0 192 रकबा 0.09 हे0 खसरा नं0 194 रकबा 0.08 हे0 अतिक्रम नहीं करें। ना ही किसी प्रकार की रेवडी डाले। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक .29.11.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Scanned with CamScanner